न्यायालय उप समाहर्ता भूमि सुधार, रंका।

नामांतरण अपील वाद सं0– 06/2019–20

सरस्वती कुवँर बनाम् विजय प्रसाद गुप्ता

दिनांक	पदाधिकारी द्वारा पारित आदेश	अभ्युक्ति
	अभिलेख उपस्थापित। अंचल अधिकारी, रंका के द्वारा नामांतरण वाद सं0– 47 R 27/2018–19 में मौजा रंका कला थाना सं0– 83 के खाता सं0–84 प्लॉट सं0– 2104 रकबा– $0.03\frac{3}{4}$ ए0 में अस्वीकृत का कारण यह अंकित किया गया है कि अंचल निरीक्षक के जॉच प्रतिवेदन में उल्लेख है कि संबंधित भूमि का केवाला पूर्व में जगदीश साव के द्वारा अपने पुत्र के नाम से कर दिया है। उक्त नामांतरण में जगदीश साव के पुत्र द्वारा आपति प्राप्त है। अंचल निरीक्षक के जॉच प्रतिवेदन के अनुसार अंचल अधिकारी, रंका द्वारा उक्त नामांतरण वाद को अस्वीकृत किया गया है। अतः उक्त वाद के आलोक में अपीलार्थी के द्वारा दाखिल नामांतरण अपील आवेदन पत्र को स्वीकृत करते हुए अंचल अधिकारी, रंका के द्वारा नामांतरण अपील वाद सं0– 47 R 27/2018–19 में पारित आदेश को निरस्त किया जाता है। साथ ही अंचल अधिकारी, रंका को इस निदेश के साथ प्रतिप्रेषित **(Remand)** किया जाता है कि अपीलार्थी के उक्त खाता प्लॉटों से संबंधित स्थल जॉच करते हुए तथा केवाला में दर्ज एवं प्रावधानों के अनुसार नामांतरण करना सुनिश्चित करेंगे। इस आशय के साथ वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है। आदेश कि प्रति अंचल अधिकारी, रंका को अनुपालन हेतु भेजें। 2.12.22 उप समाहर्ता भूमि सुधार, रंका।	

Digitally signed by PARMESH KUSHWAHA
Date: 2023.11.26 16:02:07 +05:30
Location: 192.168.238.59